सीबीआई प्र. क्र. 6/2019
साक्षी क्र. 28 पुरुषोत्तम लाल साहू
सीबीआई वि. विजय कुमार शर्मा
II-157
C.J.

Witness no. ......**28**.........for ....Prosecution......................Deposition taken

the.**06.12.2024**..day of.............Witness's apparent age...........**68 वर्ष**

States on affirmation.......**शपथपूर्वक** ....My name is....... **पुरुषोत्तम लाल साहू**

Son of..... **श्री शिवप्रसाद साहू** ..occupation... **सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1, एफ.सी.आई. कार्यालय, कांपा, मोवा, जिला रायपुर छ.ग.**

addres... **आदर्श नगर, मोवा, जिला रायपुर छ.ग.**

प्रारंभ समय 12.21 बजे

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री भानूप्रकाश, विशेष लोक अभियोजक वास्ते सी.बी.आई.

1– मैं अगस्त 2016 में सहायक ग्रेड 1 के पद पर एफ.सी.आई. कार्यालय, कांपा, मोवा, जिला रायपुर छ.ग. से सेवानिवृत्त हुआ हूं। वर्ष 2014 में मैं उपरोक्त कार्यालय में सहायक ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत था। दिनांक 21.11.2014 को मैं मेरे उच्चाधिकारी के निर्देश पर सी.बी.आई. टीम की कार्यवाही में भाग लेने हेतु सी.बी.आई. टीम के साथ मकान नंबर 346/17, प्रियदर्शिनी नगर, रायपुर में गया था। उक्त मकान में विजय शर्मा, किराये पर रहते थे। उक्त दिनांक को सी.बी.आई. टीम द्वारा विजय शर्मा के किराये से निवासरत परिसर की तलाशी ली गयी थी। उक्त तलाशी के दौरान मैं स्वतंत्र गवाह के रुप में उपस्थित रहा था। सी.बी.आई. टीम में संदीप मौर्य, सी.बी.आई. इंस्पेक्टर तथा एक महिला कांस्टेबल शीला दुबे तथा एक अन्य स्वतंत्र साक्षी शेषनाग यादव व अन्य लोग शामिल थे। सी.बी.आई. टीम द्वारा उक्त परिसर की तलाशी के दौरान पाये गये दस्तावेजों की सर्च लिस्ट एवं सामानों की इन्वेंट्री मेमो मेरे तथा अन्य स्वतंत्र साक्षी के

Witness no. ......**28**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर मैंने स्वतंत्र गवाह के रुप में हस्ताक्षर किया था। उक्त सर्च लिस्ट **प्र.पी. 432** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं।

2– सर्च लिस्ट प्र.पी. 432 के साथ संलग्न जप्त किये गये दस्तावेज/आर्टिकल्स की लिस्ट **प्र.पी. 432/1** है जो तीन पन्नों में है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण हस्ताक्षर हैं। उक्त लिस्ट प्र.पी. 432/1 के बी से बी भाग में जप्त किये गये दस्तावेजों का विवरण उल्लेखित है। प्र.पी. 432 के साथ विजय शर्मा के किराये से निवासरत परिसर में उपलब्ध आर्टिकल्स के संबंध में एक इन्वेंट्री मेमो भी तैयार किया गया था जिसमें परिसर में उपलब्ध सामान का विवरण उल्लेखित किया गया था तथा उक्त सामान के कस्टोडियन के बताये अनुसार उक्त सामान की वैल्यू का उल्लेख भी उक्त इन्वेंट्री मेमो में किया गया है, जो **प्र.पी. 432/2** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे लघु एवं पूर्ण हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर परिसर में पाये गये आर्टिकल्स का विवरण एवं उनकी वैल्यू उल्लेखित है। उक्त प्र.पी. 432/2, प्र.पी. 432 के दौरान बनाया गया है।

3– **प्र.पी. 433 से प्र.पी. 440** तक वी.के. शर्मा के नाम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, जिनके पृष्ठ भाग पर ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। कमलेश कुमारी के नाम से एच.डी.फ.सी. बैंक लिमिटेड की बैंक पासबुक **प्र.पी. 441** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 431 के दौरान जप्त किया गया था। विजय कुमार शर्मा के नाम से एच.डी.एफ.सी. बैंक डिपॉजिट कन्फर्मेशन/रिन्यूअल एडवाईस **प्र.पी. 442 से 450** तक है, जिनके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरा लघु हस्ताक्षर है। विजय कुमार शर्मा के एच.डी.एफ.सी. के आर.के. पुरम ब्रांच से संबंधित बैंक दस्तावेज जो पेज क्र. 34 से 48 तक है **प्र.पी. 451** हैं जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

Witness no. ......**28**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

4– विजय कुमार शर्मा के नाम से एच.डी.फ.सी. बैंक लिमिटेड की बैंक पासबुक **प्र.पी. 452** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। विजय कुमार शर्मा के नाम से एच.डी.एफ.सी. बैंक डिपॉजिट कन्फर्मेशन/रिन्यूअल एडवाईस **प्र.पी. 453** है, जिनके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरा लघु हस्ताक्षर है। विजय कुमार शर्मा के एच.डी.एफ.सी. बैंक का टैक्स सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज **प्र.पी. 454** है जो पेज क्र. 72 से 77 तक है, के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं। विजय कुमार शर्मा के नाम से किसान विकास पत्र प्र.पी. 390 से 396 है, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था, के पृष्ठ भाग पर ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं।

5– विजय कुमार शर्मा के पंजाब एंड सिंध बैंक के बचत खाता पासबुक **प्र.पी. 455** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं। विजय कुमार शर्मा के पंजाब एंड सिंध बैंक की सावधी जमा राशि रसीद **प्र.पी. 456 से 459** हैं, जिनके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं, प्र.पी. 455 एवं प्र.पी. 456 से 459 को सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। कमलेश कुमारी एवं विजय कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक की जमा पुष्टि की रसीद **प्र.पी. 460** है, जिसके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण हस्ताक्षर हैं। कमलेश कुमारी की पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक **प्र.पी. 461** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं।

6– कमलेश कुमारी तथा कमलेश कुमारी एवं विजय कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक की जमा पुष्टि की रसीद **प्र.पी. 462 से 465** हैं, जिसके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं। कमलेश कुमारी की पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक प्र.पी. 348 है जो पेज क्र.

Witness no. ......**28**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

18 से पेज क्र. 23 तक है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। विजय कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक की बचत निधि खाता पासबुक **प्र.पी. 466** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं। विजय कुमार शर्मा के पंजाब नेशनल बैंक के जमा पुष्टि की रसीद प्र.पी. 224 एवं 326 है जिसके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं। प्र.पी. 460 से 466 तक के दस्तावेज सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था।

7– कमलेश शर्मा की एस.टी.डी.आर. **प्र.पी. 467** है, जिसके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। विजय कुमार शर्मा के टर्म डिपॉजिट एडवाईस की रसीद **प्र.पी. 468** है, जिसके पृष्ठ भाग पर मेरे ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं । प्र.पी. 467 एवं 468 को सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। प्र.पी. 426, प्र.पी. 427, प्र.पी. 429 एवं प्र.पी. 430 के ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। प्र.पी. 404 विजय कुमार शर्मा के भारतीय स्टेट बैंक के विशेष/सावधि जमा रसीद है जिसके पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। प्र.पी. 314 विजय कुमार शर्मा की भारतीय स्टेट बैंक की बचत खाता पासबुक है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे लघु एवं पूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था।

8– आर्टिकल–सी कमलेश कुमारी की कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित की बचत बैंक पासबुक है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण एवं लघु हस्ताक्षर हैं,जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च

Witness no. ......**28**.........for ....Prosecution.....................Deposition taken

लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। प्र.डी. 05 कमलेश शर्मा की डाकघर बचत खाता की पासबुक, प्र.पी. 301 विजय कुमार शर्मा की डाकघर बचत खाता की पासबुक, प्र.पी. 306 विजय कुमार शर्मा की सेविंग बैंक पासबुक है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, कमलेश कुमारी की डाकघर की सेविंग बैंक पासबुक **प्र.पी. 469** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त प्र.डी. 05, प्र.पी. 301, प्र.पी. 306 एवं प्र.पी. 469 को सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। विजय कुमार शर्मा के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्र.पी. 177 से 226 तक के पृष्ठ भाग के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था।

9– प्र.पी. 90 से प्र.पी. 109 तक विजय कुमार शर्मा के किसान विकास पत्र हैं, जिनके पृष्ठ भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं। इसी तरह प्र.पी. 110 से 119 तक कमलेश शर्मा के नाम के किसान विकास पत्र हैं जिनके ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं। प्र.पी. 119 के अनुक्रम में संलग्न कमलेश शर्मा तथा वी.के. शर्मा एवं कमलेश शर्मा के नाम के किसान विकास पत्र जो पेज क्र. 48 से 66 तक हैं, के ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं। प्र.पी. 90 से 109, प्र.पी. 110 से 119 तथा उपरोक्त पेज क्र. 48 से 66 तक के किसान विकास पत्र को सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। बृजभूषण सैंगल एवं श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा के मध्य निष्पादित विक्रय समझौता पत्र **प्र.पी. 470** है जो पेज क्र. 89 से 92 तक है, के ए से ए भाग पर मेरे पूर्ण तथा लघु हस्ताक्षर हैं। श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा के द्वारा ऑमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन से खरीदे गयी प्रॉपर्टी संख्या 246 आर./जी.एफ. से संबंधित दस्तावेज प्र.पी. 471 है जो पेज क्र.

Witness no. ......28.........for ....Prosecution......................Deposition taken

93 से 127 तक है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था।

टीपः– चायकाल होने से साक्षी का मुख्य परीक्षण स्थगित किया गया।

प्रारंभ समय 14.01 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर................

टीपः– चायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका शेष मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रारंभ समय 14.53 बजे

10– विजय कुमार शर्मा तथा श्रीमती कमलेश कुमारी के द्वारा एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से लिये गये लोन संबंधी दस्तावेज प्र.पी. 416, प्र.पी. 417 एवं प्र.पी.418 के बी से बी भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। प्र.पी. 123 के अनुक्रम में उसके साथ संलग्न विजय कुमार शर्मा के किसान विकास पत्र की सत्यापित प्रतियां जो पेज क्र. 8 से 17 तक है, के ए से ए भाग पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं, जिन्हें सर्च के समय उक्त सर्च लिस्ट प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1

Witness no. ......28..........for ....Prosecution......................Deposition taken

बनाये जाने के दौरान जप्त किया गया था। अन्य स्वतंत्र साक्षी ने भी तत्समय उपरोक्त सर्च लिस्ट एवं इन्वेंट्री मेमो पर हस्ताक्षर किये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सैय्यद जीशान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

11— मैं आज नहीं बता सकता कि दिनांक 21.11.2014 को मेरे उच्चाधिकारी द्वारा सी.बी.आई. की कार्यवाही में भाग लेने हेतु मुझे लिखित आदेश दिया था अथवा मौखिक आदेश दिया था। यह कहना सही है कि प्रकरण में मुझे मेरे उच्चाधिकारी द्वारा प्रदान किये गये कोई लिखित आदेश की प्रति संलग्न नहीं है और न ही मैं आज अपने साथ कोई लिखित आदेश लेकर आया हूं। मेरे उच्चाधिकारी ने मुझे सी.बी.आई. अधिकारियों से रायपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास मिलने को कहा था।

12— यह कहना सही है कि दिनांक 21.11.2014 को मैं अपने कार्यालय नहीं गया था । स्वतः कहा कि उक्त दिनांक को सी.बी.आई. की कार्यवाही में सम्मिलित था। यह कहना सही है कि दिनांक 21.11.2014 को मेरे उच्चाधिकारी ने मुझे सी.बी.आई. की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया था। स्वतः कहा कि एक दिन पहले ही निर्देश दे दिया था। मैं आज नहीं बता सकता कि मेरे किस उच्च अधिकारी ने मुझे सी.बी.आई. की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्देश दिया था। यह कहना गलत है कि मुझे किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा उक्त संबंध में निर्देश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं उच्चाधिकारी का नाम अथवा निर्देश के प्रकार के संबंध में नहीं बता पा रहा हूं।

13— मैं रायपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर सुबह 7 बजे पहुंचा था। जब मैं उक्त स्थान पर पहुंचा था, तब वहां सी.बी.आई. के अधिकारी उपस्थित थे परंतु मैं आज यह नहीं बता सकता कि तत्समय कितने अथवा कौन—कौन अधिकारी वहां उपस्थित थे। यह कहना सही है कि

Witness no. ......28..........for ....Prosecution......................Deposition taken

जितने भी व्यक्ति तत्समय कलेक्टर कार्यालय के बाहर सम्मिलित हुए थे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को मैं पूर्व से नहीं जानता था। यह कहना सही है कि तत्समय सी.बी.आई. की कार्यवाही में मेरे अतिरिक्त मेरे कार्यालय का अन्य कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं था।

14- सी.बी.आई. टीम के साथ पहले मैं विधानसभा रोड रायपुर स्थित एक कार्यालय गया था। मैं आज नहीं बता सकता कि उक्त कार्यालय किसका था। स्वतः कहा कि अभियुक्त विजय शर्मा से मिलने कार्यालय गये थे, जिसके बाद अभियुक्त विजय शर्मा के घर गये थे। यह कहना सही है कि हम विधानसभा रोड स्थित कार्यालय में अभियुक्त विजय शर्मा से मिले थे। सी.बी.आई. की टीम ने अभियुक्त विजय शर्मा को यह नहीं बताया कि वह उनके घर तलाशी लेने हेतु जा रहे हैं। स्वतः कहा कि सी.बी.आई. ने उक्त बात मुझे भी नहीं बताया था। विधानसभा रोड स्थित कार्यालय से मैं सी.बी.आई. टीम के साथ अभियुक्त विजय शर्मा के घर गया था। मैं आज नहीं बता सकता कि अभियुक्त विजय शर्मा का घर कहां था। मैं आज अभियुक्त विजय शर्मा के मकान का नंबर भी नहीं बता सकता।

15- सी.बी.आई. टीम के साथ जिस घर में कार्यवाही हेतु मैं गया था, उक्त घर में केवल भूतल था। मैं आज निश्चित रुप से नहीं बता सकता कि उक्त घर में कितने कमरे थे। स्वतः कहा कि जहां तक मुझे याद है, दो कमरे थे। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं हुई थी कि तत्समय उक्त घर में कितने लोग निवास करते थे। स्वतः कहा कि जिस समय मैं वहां गया था, उस समय केवल अभियुक्त विजय शर्मा की पत्नी वहां उपस्थित थी। मेरे समक्ष सी.बी.आई. के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी कि उक्त घर में कितने लोग निवास करते हैं और घर का कौन सा कमरा किस व्यक्ति का था। मैं सी.बी.आई. टीम के साथ उक्त घर में सुबह 10-11 बजे पहुंचा था और अगले दिवस की रात्रि 2 बजे तक मैं सी.बी.आई. टीम के

Witness no. ......28..........for ....Prosecution......................Deposition taken

साथ उक्त घर में ही उपस्थित था। यह कहना गलत है कि रात्रि 2 बजे के बाद मैं सी.बी.आई. अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय गया था।

16– यह कहना सही है कि उक्त घर में जो वस्तुएं संधारित थीं, वह सब पुरानी थीं, कोई भी नई क्रय की गयी वस्तु उक्त घर में उपलब्ध नहीं थीं। यह कहना सही है कि तलाशी के समय अभियुक्ता कमलेश शर्मा ने बताया था कि उनके घर में उपलब्ध वस्तुओं में से कुछ वस्तु सेकंड हैंड खरीदी गयी हैं और कुछ वस्तुएं उनके परिवारजन द्वारा भेंट स्वरुप प्रदान की गयी हैं। यह कहना सही है कि प्र.पी. 432/2 में वस्तुओं की जो कीमत उल्लेखित की गयी है, वह अनुमानित कर उल्लेख की गयी है। साक्षी अब कहता है कि अभियुक्ता कमलेश शर्मा के बताये अनुसार लिखी थी।

17– यह कहना सही है कि सी.बी.आई. टीम के साथ कार्यवाही के समय कोई सुनार नहीं गया था। यह कहना सही है कि घर से जो आभूषण प्राप्त हुये थे, वह सोने के थे अथवा तांबे के थे ये मैं नहीं बता सकता, सुनार ही बता सकता है। यह कहना सही है कि सी.बी.आई. टीम अपने साथ तराजू लेकर नहीं गयी थी और न ही सी.बी.आई. द्वारा किसी भी आभूषण का वजन नापा गया था। यह कहना सही है कि सोने की कीमत दिन–प्रतिदिन बढ़ती जाती है। मैं आज नहीं बता सकता कि घर में जो आभूषण देखा था, वह पुराना उपयोगशुदा आभूषण था अथवा नहीं। मैं आज नहीं बता सकता कि प्र.पी. 432/2 में जो आभूषण का वर्णन है, वह घर के कौन से हिस्से से प्राप्त हुआ था। साक्षी से पूछे जाने पर कि सी.बी.आई. के अधिकारियों द्वारा आपके समक्ष तलाशी कर इन्वेंट्री तैयार नहीं की थी ? जिस पर साक्षी का कहना है कि सी.बी.आई. के अलग–अलग अधिकारी अलग–अलग स्थलों पर कार्यवाही कर रहे थे और मैं भी तत्समय उक्त घर में था। मैं आज नहीं बता सकता कि कार्यवाही उपरांत सी.बी.आई. द्वारा क्या–क्या वस्तुएं

Witness no. ......**28**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

जप्त की थी और उन्हें अन्य क्या-क्या वस्तुएं मिली थीं । स्वतः कहा कि उक्त संबंध में प्र.पी. 432/1 एवं 432/2 में उल्लेख है ।

18- यह कहना सही है कि जन्मदिन, विवाह इत्यादि अवसरों पर जब नकद भेंट प्रदान की जाती है तो उक्त राशियों को भेंट संबंधी लिफाफों में दिया जाता है। मुझे याद नहीं है कि उक्त घर में भेंट संबंधी लिफाफों में नकद राशि प्राप्त हुई थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्ता कमलेश शर्मा ने सी.बी.आई. को यह बताया था कि लिफाफों में जो राशि रखी है, वह उनके पुत्र को विवाह के समय मिली भेंट राशि है। स्वतः कहा कि उक्त संबंध में सी.बी.आई. अधिकारी बता सकते हैं।

19- सी.बी.आई. अधिकारियों ने मुझसे बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी से पूछे जाने पर कि कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, तो साक्षी का कहना है कि मैं आज अंदाजे से भी नहीं बता सकता। सी.बी.आई. ने हस्ताक्षर करवाने के पूर्व मुझे नहीं बताया था कि उक्त दस्तावेज किस संबंध में है। यह कहना सही है कि मैंने हस्ताक्षर करने के पूर्व दस्तावेजों को पढ़ा भी नहीं था। यह कहना सही है कि सी.बी.आई. द्वारा हस्ताक्षर करने बोले जाने पर मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था।

20- यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष दिनांक 21.11.2014 को सी.बी.आई. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। यह कहना सही है कि दिनांक 21.11.2014 को 3.30 बजे सर्च की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई थी। साक्षी को प्र.पी. 432 दिखाकर पूछने पर कि प्र.पी. 32 में सर्च प्रारंभ का समय 3.30 बजे उल्लेखित है जो की गलत है ? पर साक्षी का कहना है कि उक्त संबंध में मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैंने प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 एवं प्र.पी. 432/2 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पूर्व उक्त दस्तावेजों को पढ़ा नहीं था ।

सीबीआई प्र. क्र. 6/2019
साक्षी क्र. 28 पुरुषोत्तम लाल साहू
सीबीआई वि. विजय कुमार शर्मा
II-157
C.J.

Witness no. ......**28**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

स्वतः कहा कि मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, उक्त दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं। यह कहना सही है कि सी.बी.आई. अधिकारी द्वारा प्र.पी. 432, प्र.पी. 432/1 एवं प्र.पी. 432/2 के दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद करके नहीं बताया था। मैं नहीं बता सकता कि उक्त दस्तावेजों में क्या लिखा है। यह कहना गलत है कि सी.बी.आई. के दबाव में आज मैं दिनांक 21.11.2014 की कार्यवाही में सम्मिलित होने का झूठा कथन कर रहा हूं।

समय 16.15 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया ।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

LEELADHARSAI YADAW Digitally signed by LEELADHARSAI YADAW

(लीलाधर साय यादव)
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई.केसेस
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर................